Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

बालिकाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास में लाडली लक्ष्मी योजना के योगदान का अध्ययन

श्रीमती शर्मिला मीणा*

***सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खंडवा (म.प्र.) भारत**

शोध सारांश – लाडली लक्ष्मी योजना बालिकाओं बोझ समझना, उनके प्रति निम्न सोच ,भ्रुण हत्या दहेज प्रथा तथा बेमेल विवाह , बेटी से दोयम दर्जे का व्यवहार करना आदि से जूझ रही बालिकाओं के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना एक वरदान है। यह योजना मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2006 में घोषित की गई तथा 1 अप्रैल 2007 से इसे मध्यप्रदेश में लागू किया गया था। मध्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच बनाने, गिरते हुए लिंग अनुपात में सुधार करना तथा बालिकाओं के शिक्षा स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार करने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अच्छे भविष्य की नींव रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। यह मध्य प्रदेश शासन की अनोखी पहल है जिसके माध्यम से जनसंख्या का आधा हिस्सा जो बालिका और महिला के रूप में पीछे रह गया था उसे आगे बढ़ाना उद्देश्य है। यह योजना इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि यदि एक युवा शिक्षित होता है तो केवल वह सक्षम बनता है । किंतु एक बालिका शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित और संपन्न होता है,एक समाज शिक्षित और संपन्न होता है ,और एक राष्ट्र शिक्षित और संपन्न होता है। कई परिवार अपनी आर्थिक स्थिति के कारण चाह कर भी बेटियों को अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाते हैं। कई बार परिवार इतने विवश होते हैं की वे बालिकाओं के विवाह हेतु भी आर्थिक रूप से अक्षम होते हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों के स्वास्थ्य , शिक्षा एवं कल्याण में आर्थिक योगदान देने हेतु इस अनोखी पहल को प्रारंभ किया हैं, तथा बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गयी। योजना के तहत प्राप्त राशि से बालिकाएं अपनी शिक्षा पूरी कर सकती हैं साथ ही 21 वर्ष पूर्ण होने पर प्राप्त राशि को विवाह में भी प्रयोग कर सकती हैं । महिला सशक्तिकरण की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है । लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओं के जन्म व शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह रोकना , लिंगानुपात में सुधार , बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा बालिकाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अध्ययन का उद्देश्य – यह रिसर्च पेपर लाडली लक्ष्मी योजना के अध्ययन पर केंद्रित है अध्ययन का उद्देश्य लाड़ली लक्ष्मी योजना की संरचना, लाभ, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी – लाड़ली लक्ष्मी, योजना, बालिका, लैंगिक समानता, सामाजिक एवं आर्थिक सम्पन्नता, सशक्तिकरण।

प्रस्तावना – वैदिक काल में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति उच्च स्तर की रही है किंतु इसके पश्चात धीरे-धीरे महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता कम होती गई । तथा वे घर के चार दिवारी में कैद एक पंछी की तरह हो गई जो ना अपनी मर्जी से बाहर निकल सकता हैं, जिस प्रकार पिंजरे का पंछी वही भोजन ग्रहण करता है जो उसे उसके मालिक के द्वारा दिया जाता है और वही भाषा बोल सकता है जो उसे मलिक के द्वारा सिखाई जाती है । यही स्थिति महिलाओं की भी हो गई थी, ना तो वह सामाजिक और आर्थिक निर्णय में सहभागिता कर सकती थी और ना ही अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती थी । वह एक जीव तो थी किंतु जीवित नहीं । भारत में लैंगिक असमानता और लड़कियों के प्रति भेदभाव जैसी सामाजिक समस्याएं रही हैं। कन्या भ्रुण हत्या व निम्न महिला साक्षरता दर तथा बाल विवाह और बालिकाओं के लिए निम्न स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं इन मुद्दों ने सामाजिक विकास एवं आर्थिक पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इस संदर्भ में अनेक समाज सुधारको जैसे राजा राममोहन राय, सावित्रीबाई फुले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर आदि ने लगातार प्रयास किये एवं महिला सशक्तिकरण की आवाज उठाई। शासन प्रशासन ने भी इस ओर कदम बढ़ाए तथा बालिका एवं महिला सशक्तिकरण हेतु अनेक योजनाएं शुरू की गई। बालिकाओं से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की । यह योजना लड़कियों के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच बनाने तथा उनकी शिक्षा में सहयोग प्रदान करने एवं बालिकाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्त बनाने के लिए तथा बालिकाओं की आर्थिक एवं सामाजिक आजादी को पुख्ता करने के लिए बनाई गई है।

योजना का उद्देश्य:

1. बालिकाओं के जन्म को बढ़ावा मिले तथा लिंग अनुपात में सुधार करना।
2. बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना तथा स्कूल छोड़ने की दर को कम करना।

3. बालिका को 21 वर्ष की उम्र तक आर्थिक सहायता देना।
4. नारी सशक्तिकरण में योगदान देना
5. बाल विवाह को रोकना।
6. बालिकाओं की आर्थिक सुरक्षा को पुख्ता करना।
7. समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना ।

योजना हेतु पात्रता– लाडली लक्ष्मी योजना के तहत, सरकार बालिकाओं को जन्म से लेकर 21 साल की उम्र तक वित्तीय सहायता देती है। बशर्ते वे शिक्षा और शादी की स्थिति से जुड़ी कुछ शर्तें पूरी करें जैसे

1. बालिका का जन्म 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद हुआ हो।
2. बालिका का रजिस्ट्रेशन लोकल आंगनवाड़ी सेंटर में होना चाहिए।
3. माता–पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
4. माता–पिता इनकम टैक्सपेयर नहीं होने चाहिए।
5. दूसरे बच्चे के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो।
6. ऐसी बालिकाएं जिनकी माता महिला कैदी है तथा जिनका जन्म जेल में हुआ हो को भी इस स्कीम के तहत लाभ मिलेगा।
7. रेप पीड़िता से जन्म ली हुई बालिका को भी इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा।
8. अनाथालय ,सुरक्षा गृह के सुपरिटेंडेंट को अनाथालय में एडमिशन के 1 साल के अंदर और बच्ची के 5 साल की उम्र पूरी होने से पहले या गोद लेने वाले माता–पिता द्वारा गोद लेने के 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा।

लाइली लक्ष्मी योजना से बालिकाओं को वित्तीय लाभ – बालिका के योजना में जुड़ने के पश्चात सरकार पांच साल तक हर साल 6,000 रूपये के नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट खरीदती है। पांच वर्षो में कुल राशि 30000 रूपये के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा बालिका के नाम से क्रय किए जाते हैं। तथा बालिका को अलग–अलग स्तर पर शिक्षा हेतु राशि प्रदान की जाती है

1. प्रथम राशि कक्षा छठवीं में प्रवेश पर 2000 रुपए प्रदान किए जाते हैं।
2. द्वितीय राशि कक्षा नौवीं में प्रवेश पर 4000 प्रदान किए जाते हैं।
3. कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं में प्रत्येक वर्ष 6000 प्रदान किए जाते हैं।
4. उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने पर बालिका को 25000 प्रदान किए जाते हैं।
5. बालिका की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उसे 100000 की राशि प्रदान की जाती है। बालिका 21 वर्ष की आयु तक बालिका के अविवाहित रहने पर यह राशि प्रदान की जाती है।

इस प्रकार इस योजना के तहत बालिका को कुल राशि 143000 प्राप्त होती है। जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा पूर्ण हो, बाल विवाह ना हो एवं शिक्षा उपरांत वह आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने। इस योजना के तहत बालिका को कुल लगभग 1.43 लाख रुपए दिया जाता है । सरकार द्वारा बालिका के नाम पर 1,43,000/– का एक एश्योरेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता हैंस

योजना के क्रियान्वयन में संलग्न संस्थाएं – यह योजना मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लागू की गई है। रजिस्ट्रेशन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाता है, और वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है।

लाइली लक्ष्मी योजना का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

1. लिंगानुपात में सुधार– बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाने में यह योजना सार्थक सिद्ध हुई है जिसके कारण मध्य प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार हुआ है मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 2001 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 919 तथा 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात931 हो गया ।इस योजना ने सामाजिक सोच को बदलने और परिवारों को बेटियों के जन्म का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।जिससे लिंगानुपात में धीरे–धीरे सुधार हुआ है।

2. बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार–आर्थिक सहायता के कारण बालिकाओं के शिक्षा स्तर में सुधार हुआ है न केवल बालिका स्कूल शिक्षा पूरी कर रही है बल्कि उच्च शिक्षा में भी प्रवेश प्राप्त कर अपनी डिग्री पूर्ण कर रही है। वित्तीय प्रोत्साहन से स्कूल छोड़ने की दर को कम हुई इस योजना ने माता–पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा, जिसमें उच्च शिक्षा भी शामिल है, पूर्ण करवाने हेतु प्रेरित किया है।

3. महिला सशक्तिकरण– आर्थिक सहायता के माध्यम से बालिकाएं अपनी शिक्षा पूर्ण कर सामाजिक और आर्थिक सशक्त बन रही है।

4. बाल विवाह में कमी– इस योजना के तहत यह एक महत्वपूर्ण शर्त है कि बालिका 21 वर्ष की उम्र तक अविवाहित रहे । इसके पश्चात ही अंतिम किस्त का भुगतान किया जाता है । जिससे बलिकाओं के कम उम्र विवाह होने एवं कम उम्र में मां बनने से हो रहे स्वास्थ्य स्तर के गिरावट में कमी आई है।

योजना की अद्यतन जानकारी–योजना के अंतर्गत 5234006 बालिकाओं का लाड़ली लक्ष्मी के रूप में पंजीकरण किया जा चुका है। लाडली लक्ष्मियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति की संख्या 2529107 हैं तथा 1418812 लाड़लियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई है । इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि 840.93 करोड़ है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ–लाड़ली लक्ष्मी योजना बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कारगर योजना है किंतु जनता में जागरूकता की कमी, सही जानकारी का अभाव, ग्रामीण परिवारों के पास दस्तावेजों की अनुपलब्धता, परिवारों के द्वारा परिवार नियोजन ना अपनाना तथा परिवारों के द्वारा रुचि ना लेना आदि समस्याओं से यह योजना अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है।

सुझाव– जनता में जागरूकता एवं आंगनबाड़ी केंद्र की सजकता से इस योजना के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। स्कूलों और मीडिया आदि के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार किया जाए, दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया सरल की जाए, निगरानी तंत्र मजबूत किया जाए तथा योजना के नियमित अध्ययन से कमियों को दूर किया जाकर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

अनुसंधान की पद्धति एवं डाटा संग्रहण– अनुसंधान पद्धति वर्णनात्मक है। डाटा संकलन शासकीय वेबसाइट से द्वितीय डाटा संग्रहण किया गया है

उपसंहार– मध्य प्रदेश में बालिकाओं के जन्म के प्रति लोगों में सकारात्मक सोच बनाने, गिरते हुए लिंग अनुपात में सुधार करना तथा बालिकाओं के शिक्षा स्तर एवं स्वास्थ्य में सुधार करने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके अच्छे भविष्य की नींव रखने के उद्देश्य से लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 से की की गई। योजना के अंतर्गत 5234006

बालिकाओं का लाड़ली लक्ष्मी के रूप में पंजीकरण किया जा चुका है। लाडली लक्ष्मियों को स्वीकृत छात्रवृत्ति की संख्या 2529107 हैं तथा 1418812 लाड़लियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई है । इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रवृत्ति कीराशि 840.93 करोड़ है। इस प्रकार इस योजना के तहत बालिका को कुल राशि 143000/- प्राप्त होती है। जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका शिक्षा पूर्ण हो, बाल विवाह ना हो एवं शिक्षा उपरांत वह आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx
2. विभिन्न सरकारी रिपोर्ट और नीति दस्तावेज

****